(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 46 /2023
दिनांकः 30 नवम्बर, 2023

विषयः राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से खाद्य वस्तुओं का निर्यात।

सा.आ.(अ).– विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं का निर्यात अनुमत किया जाता है:–

देश का नाम	वस्तुएं	मात्रा
भूटान	गेहूं का अनाज	14,184 मीट्रिक टन
	गेहूं का आटा	5326 मीट्रिक टन
	मैदा/सूजी	15,226 मीट्रिक टन
	टूटा हुआ चावल	48,804 मीट्रिक टन
माली	टूटा हुआ चावल	1 लाख मीट्रिक टन
सेनेगल	टूटा हुआ चावल	5 लाख मीट्रिक टन छह माह के समय में
गाम्बिया	टूटा हुआ चावल	50,000 मीट्रिक टन छह माह के समय में
इंडोनेशिया	टूटा हुआ चावल	2 लाख मीट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप, ट्रेड नोटिस सं. 08/2023 दिनांक 20.06.2023, ट्रेड नोटिस सं. 17/2023 दिनांक 28.07.2023 और ट्रेड नोटिस सं. 18/2023 दिनांक 28.07.2023 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

अधिसूचना का प्रभावः

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से उपर्युक्त–उल्लिखित खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह अधिसूचना ट्रेड नोटिस सं. 08/2023 दिनांक 20.06.2023, ट्रेड नोटिस सं. 17/2023 दिनांक 28.07.2023 और ट्रेड नोटिस सं. 18/2023 दिनांक 28.07.2023 को रद्द करती है।

संतोष कुमार सारंगी 30.11.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/35/एएम–20/ई–फाइल/पार्ट–2/ई–35458 से जारी)